कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

पत्रांक-ए.ई-2/03/नि.वि.-1/वर्ग-2/32/2018/खण्ड-1/ 714 दिनांक- 25 .08.2020

कार्यालय आदेश

खण्डीय लेखाधिकारी/खण्डीय लेखाकार के अवकाश अथवा अन्य कारणो से खण्ड से अनुपस्थिति रहने की स्थिति में सम्बन्धित खण्ड का कार्यभार अन्य खण्डीय लेखाधिकारी/खण्डीय लेखाकार को सौपे जाने की व्यवस्था को सुगम करने के लिये इस कार्यालय द्वारा द्विस्तरीय कार्यभार (Two tier Link Charge) व्यवस्था का कार्यालय आदेश समय-समय पर निर्गत किया जाता है।

किन्तु, प्रायः ऐसे मामले संज्ञान मे आते रहते है जब खण्डीय अधिकारी द्वारा द्विस्तरीय कार्यभार व्यवस्था के कार्यालय आदेश से इतर खण्ड के लिपिक अथवा सहायक को खण्ड का लेखा सम्बन्धी कार्य करने का आदेश निर्गत कर दिया जाता है। खण्डीय अधिकारी का यह कृत्य वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्रावधानो के प्रतिकूल होने के साथ-साथ इस कार्यालय के नियन्त्रक अधिकारी के प्राधिकार का अतिक्रमण भी है।

अतः खण्डीय अधिकारियो से यह अपेक्षित है कि वे इस कार्यालय द्वारा निर्गत आदेश के अनुरुप ही खण्ड के लेखा सम्बन्धी दायित्वो के निर्वहन हेतु खण्डीय लेखाधिकारी/खण्डीय लेखाकार को निर्देशित करेंगे।

कभी-कभी एसे मामले भी संज्ञान में आते है जब खण्डीय लेखाधिकारी/खण्डीय लेखाकार द्विस्तरीय कार्यभार व्यवस्था के अन्तर्गत खण्ड के लेखा सम्बन्धी दायित्वो के निर्वहन में अनिच्छा व्यक्त करते है, जिससे जानबूझकर नियन्त्रक अधिकारी के आदेशो की अवज्ञा होती है। खण्डीय लेखाधिकारी/खण्डीय लेखाकार का यह कृत्य अनुशासनात्मक कार्यवाही की ओर आकृष्ट करता है।

पूर्व में निर्गत द्विस्तरीय कार्यभार व्यवस्था के कार्यालय आदेश सं0 AE-II/03/WM-I/Gr-II/32/2018/Vol-I/593 dt- 18.09.2019 को अधिक्रमित करते हुये पुनः कार्यालय आदेश सं0-AE-II/03/WM-I/Gr-II/32/2018/Vol-I/711 दिनांक 12.08.2020 निर्गत कर दिया गया है।

संवर्ग के सभी कार्मिको को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त कार्यालय आदेश का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करे। अन्यथा की स्थिति में इसे नियन्त्रक अधिकारी के आदेशो की अवज्ञा माना जाएगा तथा यथोचित कार्यवाई की जायेगी।

Raj Kamal Raj

उपमहालेखाकार/डी.ए .सी.सी

पत्रांक-ए.ई-2/03/नि.वि.-1/वर्ग-2/32/2018/खण्ड-1/685-688 दिनांक- 25.08.2020

प्रतिलिपिः-

(1) सचिव महालेखाकार(ले0 एवं ह0)-द्वितीय, उ0 प्र0, इलाहाबाद।

(2) वरि0 लेखाधिकारी आ0टी0सी0जी0, कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं ह0)-प्रथम, उ0 प्र0, इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उपर्युक्त कार्यालय आदेश को वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(3) सम्बन्धित खण्डीय लेखाधिकारी/खण्डीय लेखाकार को कार्यालय के वेबसाइट के माध्यम से।

(4) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को कार्यालय के वेबसाइट के माध्यम से।

वी.एन. वर्मा
25.08.2020
वरिष्ठ लेखाधिकारी / नि॰वि॰-1